फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम सांवता वगै०

नाम न्यायालय SDO फागी (जयपुर)

केस संख्या 48/2017 -

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	15/3/22	पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उप०। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बंधित मूल वाद प्रारंभिक डिक्री हो चुका है इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि का बेचान रहन न करे एवं मौके पर एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखल न करे। लेकिन उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा विरासतन नामान्तरकरण व काश्तकारी। उभयपक्ष द्वारा कृषि ऋण लेने पर प्रभावी नहीं होगी। पत्रावली फैसल बमुजब होकर दर्ज रजिस्टर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 15/3/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर)